

एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 'चौरासी'
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल
प्रश्न सं. [क. 5342]

मौसम : रबी 2014-15

जिला	बीमित कृषक	बीमित रकबा (हेक्ट.)	बीमित राशि रु.	प्रीमियम राशि रु.	क्षतिपूर्ति राशि रु.	लाभान्वित कृषक
गार मालवा	57,468	101,519	2,069,899,713	35,086,646	16,123,397	3,795
लिराजपुर	1,541	1,535	7,913,591	118,704		
मनुपपुर	136	226	3,851,143	57,767		1,247
भ्रशोकनगर	24,072	63,454	1,045,218,481	17,099,594	7,718,098	
बालाघाट	243	527	3,770,077	56,551		
बड़वानी	6,639	7,951	141,081,184	2,116,218	12,716,518	2,116
बेतूल	56,637	142,368	1,378,148,470	20,699,221	18,918,365	2,636
भिण्ड	10,053	23,310	400,991,932	6,985,854	15,781,230	2,637
भोपाल	30,650	80,381	1,463,526,361	22,417,191		
बुरहानपुर	185	914	12,294,398	184,416	6,108,111	2,707
छतरपुर	36,302	70,158	568,763,147	8,939,145	55,555,107	5,478
छिंदवाड़ा	23,411	46,184	630,901,776	9,514,105	1,984,806	1,153
दमोह	30,532	74,614	807,215,350	14,963,811	3,064,415	389
दतिया	7,374	22,151	357,437,417	5,378,449	15,839	113
देवास	172,869	321,626	4,261,012,509	68,450,301	3,990,037	479
धार	46,390	105,939	1,894,109,247	29,071,185	5,329	5
डिंडोरी	559	1,229	4,083,781	61,302	27,168,481	1,388
गुना	24,155	70,739	1,314,766,436	20,544,884	76,652,537	6,020
ग्वालियर	18,835	47,372	618,674,019	9,449,970	508,145	131
हरदा	59,588	183,316	4,161,496,420	62,568,607	17,992,951	3,666
होशंगाबाद	97,505	283,802	5,848,311,330	87,826,403		
इन्दौर	40,950	104,606	1,858,043,226	28,001,084	19,681,512	1,624
जबलपुर	11,258	26,014	451,758,475	7,071,018	651,047	94
झाबुआ	3,551	4,660	75,615,231	1,149,713	1,347,087	557
कटनी	12,018	28,815	263,203,592	3,959,179		
खण्डवा	44,420	65,974	1,355,314,645	20,329,721		
खरगोन	29,070	35,639	788,654,645	11,830,371	11,500,643	1,153
मण्डला	4,675	9,854	61,834,555	938,052	7,565,563	3,709
मन्दसौर	103,162	152,310	2,524,057,185	39,189,557	16,890,332	6,152
मुरैना	25,052	22,697	576,352,468	9,462,331	3,396,308	874
नरसिंगपुर	26,348	60,211	1,251,723,027	21,956,859	7,320	5
निमच	41,314	58,220	928,656,357	14,336,533	2,618,661	1,004
पन्ना	15,425	29,056	263,957,209	4,483,229	77,584,440	8,203
रायसेन	96,982	272,389	5,468,138,663	87,942,635	396,430,992	35,859
राजगढ़	191,121	399,530	6,331,777,602	104,094,746	13,243,867	3,999
रतलाम	138,198	137,206	2,177,719,878	35,593,785	15,746,557	6,921
रीवा	49,244	122,823	496,119,364	7,562,285	3,924,882	1,318
सागर	110,674	265,872	4,025,265,545	66,462,321	12,674,653	3,770
सतना	26,093	61,594	414,511,957	6,685,537	9,184,634	2,312
सीहोर	206,921	426,666	10,201,539,658	160,433,835	54,965,725	5,769
सिवनी	34,410	83,615	892,465,838	13,552,313	696,163	705
शहडोल	4,858	7,303	122,184,296	1,832,766	122,656,869	17,269
शाजापुर	146,123	253,307	3,829,092,681	64,458,843	21,766,206	3,665
श्यामपुर	22,110	30,785	838,530,458	12,667,061	3,502,271	761
शिवपुरी	24,935	66,928	883,420,617	13,893,295	4,638	4
सीधी	3,932	9,006	52,135,164	811,611	68,132	13
सिंगरौली	1,575	3,230	10,549,058	159,551	208,163	375
टिकमगढ़	28,371	22,449	449,867,522	6,749,620	119,305,435	13,189
उज्जैन	188,757	366,913	7,408,316,946	121,755,115	1,517,440	1,368
उमरिया	5,220	7,773	78,219,896	1,173,299	327,002,226	44,270
विदिशा	194,662	456,160	7,209,922,386	119,183,349		
कुल योग	2,536,573	5,240,918	88,282,414,925	1,409,309,940	1,508,445,128	198,902

रूप संचालक रूप



एग्रीकल्चर इन्श्योरन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि.
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

मौसम : खरीफ 2015

जिला	बीमित कृषक	बीमित रकबा (हेक्ट.)	बीमित राशि रु.	प्रीमियम राशि रु.	क्षतिपूर्ति राशि रु.	लाभान्वित कृषक
आगर मालवा	56,396	144,883	3,004,781,592	105,167,357		
अलिराजपुर	28,905	19,169	178,846,982	6,030,695		
अनुपपूर	6,542	13,678	193,061,431	4,838,529		
अशोकनगर	28,868	111,517	1,771,249,931	61,993,752		
बालाघाट	110,022	146,153	1,806,758,747	45,168,979		
बड़वानी	115,790	92,631	1,013,243,329	66,173,711		
बैतूल	72,370	183,759	2,480,513,079	86,360,650		
भिण्ड	6,137	17,070	140,530,511	4,918,569		
भोपाल	34,177	99,854	1,965,066,067	68,777,318		
बुरहानपुर	5,560	6,452	146,583,050	11,666,844		
छतरपुर	43,077	95,580	1,443,218,879	50,334,641		
छिंदवाड़ा	81,020	126,455	1,186,651,807	43,692,769		
दमोह	40,032	117,852	1,495,475,647	49,410,163		
दतिया	5,497	15,141	217,488,960	7,266,063		
देवास	158,372	393,082	7,045,349,279	246,698,109		
धार	107,407	192,277	3,726,236,056	166,979,045		
डिंडोरी	9,336	20,385	133,993,476	3,355,110		
गुना	35,266	120,199	2,161,279,016	75,644,770		
ग्वालियर	7,032	32,456	387,466,519	10,494,333		
हरदा	59,130	196,499	2,950,743,284	103,276,016		
होशंगाबाद	107,100	306,041	4,524,487,100	141,646,183		
इन्दौर	65,109	165,172	3,648,614,710	127,701,518		
जबलपुर	6,958	21,412	305,592,531	7,639,814		
झाबुआ	91,748	51,299	559,725,567	22,727,995		
कटनी	17,669	47,731	596,408,895	14,910,225		
खण्डवा	87,506	126,382	3,189,709,990	139,153,358		
खरगौन	121,985	63,842	1,021,521,920	100,676,163		
मण्डला	23,283	42,165	308,732,564	7,718,315		
मन्दसौर	150,105	262,248	6,468,410,109	226,390,522		
मुरैना	10,662	23,293	371,484,936	12,916,194		
नरसिंगपुर	37,182	120,205	2,057,881,899	69,432,379		
निमच	78,888	124,205	3,136,214,922	109,741,195		
पन्ना	16,466	41,652	481,674,903	15,015,735		
रायसेन	97,549	320,667	5,867,603,371	176,960,737		
राजगढ़	135,360	383,715	6,729,885,268	235,545,997		
रतलाम	78,819	122,851	2,368,193,155	82,823,164		
रीवा	35,515	96,414	756,149,956	20,767,297		
सागर	105,846	297,549	4,874,625,738	170,611,903		
सतना	33,305	86,646	775,973,570	24,311,641		
सीहोर	156,637	420,925	7,538,864,963	256,262,052		
सिवनी	65,953	156,236	1,743,731,690	51,679,604		
शहडोल	10,026	22,332	364,133,712	9,644,075		
शाजापुर	101,980	264,149	5,399,115,909	188,969,063		
श्यामपुर	5,670	14,472	281,848,765	9,070,333		
शिवपुरी	27,896	85,325	1,150,576,015	39,884,652		
सीधी	2,779	7,368	27,759,313	693,983		
सिंगरौली	3,266	6,796	27,955,192	698,880		
टिकमगढ़	18,702	28,648	547,754,206	19,170,660		
उज्जैन	143,132	402,200	7,599,537,893	265,983,835		
उमरिया	6,080	12,371	161,991,112	4,177,540		
विदिशा	107,223	381,037	5,965,689,911	208,799,155		
कुल योग	2,961,335	6,650,441	112,300,387,426	3,979,971,593		

क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है।

नोट : खरीफ 2015 मौसम हेतु क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है तथा आंकड़े सांकेतिक है।

प्रतिनिधि-1 (पक्ष 1 के लिये)

प्रतिनिधि-2 (पक्ष 2 के लिये)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सहयोग से "एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड" (ए.आई.सी.) द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। योजना की इकाई 'तहसील/पटवारी हल्का' है। अतः "व्यक्तिगत क्षति" होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। फसल बीमा योजनान्तर्गत केवल खेतों में खड़ी फसल का ही बीमा किया जाता है, खलिहान में रखी फसल का बीमा आवरण नहीं किया जाता है। जिला शासन/राज्य शासन द्वारा अधिसूचित जिलों में घोषित "अनावारी" "सूखा घोषणा"/बाढ़ घोषणा" का फसल बीमा क्षतिपूर्ति से कोई संबंध नहीं होता है।

योजनान्तर्गत फसल बीमा क्षतिपूर्ति हेतु 'तहसील/पटवारी हल्का' को यूनिट माना गया है। राज्य शासन का राजस्व विभाग रबी/खरीफ मौसम में General Crop Estimation Survey (GCES) हेतु फसल कटाई प्रयोग रेण्डम पद्धति से जो एक तहसील में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम 16 आयोजित करता है और पटवारी हल्का में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम 4 आयोजित करता है, उसका औसत निकालते हैं, जो उस तहसील/हल्का की वास्तविक उपज कहलाती है। यदि संबंधित तहसील में राज्य शासन द्वारा प्रदाय वास्तविक औसत उपज आंकड़े, थ्रेशहोल्ड उपज से (गेहूं, धान फसल हेतु पिछले 3 एवं अन्य फसलों हेतु 5 वर्षों की औसत उपज गुणांक क्षतिपूर्ति स्तर 60/80/90 प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्तर (जो कि मौसमवार, फसलवार, निश्चित होता है) से कम पाये जाते हैं तो उपज में कमी (Shortfall) के आधार पर क्षतिपूर्ति देय होती है। औसत उपज अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। वास्तविक औसत उपज थ्रेशहोल्ड उपज से अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है।

राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा खरीफ मौसम में औसत पैदावार के आँकड़े 31 जनवरी तक/तुअर, कपास के आँकड़े 31 मई तक/केला 31 दिसंबर तक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराये जाते हैं। इसी प्रकार रबी मौसम में औसत पैदावार के आँकड़े 31 जुलाई तक एवं प्याज फसल के आँकड़े 30 सितम्बर तक उपलब्ध कराये जाते हैं, तत्पश्चात दावों की गणना कर प्राधिकृत अधिकारी से क्षतिपूर्ति का अनुमोदन मिलने के बाद (खाद्य फसलें एवं तिलहन के लिए) प्राप्त 100% प्रीमियम राशि तक एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी (ए.आई.सी.) एवं उससे अधिक दावा होने पर केन्द्र एवं राज्य शासन से उनके हिस्से की राशि समान रूप से, प्राप्त कर दावों का भुगतान किया जाता है। वार्षिक नगदी एवं वार्षिक बागवानी फसलों हेतु पूर्ण दावा राशि ए.आई.सी. द्वारा भुगतान किया जाता है। दावा फार्मूला निम्नानुसार है:-

उपज में कमी

दावा = ————— X बीमित राशि

थ्रेशहोल्ड उपज

उपज में कमी = थ्रेशहोल्ड उपज-वास्तविक औसत पैदावार

दावा प्रक्रिया एक स्वचालित प्रक्रिया है, अतः क्षतिपूर्ति हेतु कृषक को कोई औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। यदि तहसील/पटवारी हल्का की उपज में कमी पायी जाती है तो उस तहसील/पटवारी हल्का के उस फसल के समस्त बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है, क्षतिपूर्ति की राशि बैंक (जिस बैंक से कृषक ने बीमा कराया है) को भेज दी जाती है जो बैंक, कृषक के खाते में समायोजित करता है।

अनुमान अधिकारी संयोजक कृषि
मं० प्र० शासन
कृषि विभाग [शाखा - 2].

